संख्या-19/2018/1800/एक-4-2018-रा0-4

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 17 अक्टूबर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ एवं लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि में से जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं लखीमपुर खीरी के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप प्रति जनपद 01 इनोवा वाहन अर्थात कुल 02 इनोवा वाहन प्रति वाहन धनराशि रूपयें 13,45,747/- की दर से कुल धनराशि रूपयें 26,91,494/- को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1-प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

2-उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा नवीनतम डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।

4-स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वाहनो का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाड़ियो का क्रय मद से किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1467/दस-2018 दिनांकः 16 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

संख्या-19/2018/1800(1)/एक-4-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ उएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।